संख्याः 731 / XVII(4)/2021-5(34)/2020

प्रेषक,

हरि चन्द्र सेमवाल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग,
उत्तराखण्ड देहरादून।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास अनुभाग–1, देहरादूनः दिनांक 20 अप्रैल, 2021

विषयः–मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना के कियान्वयन हेतु दिशानिर्देश।

महोदय,

उत्तराखण्ड राज्य में आर्थिक अभाव एवं जानकारी में कमी के कारण गर्भवती महिला प्रसव के समय अपनी व नवजात शिशु की स्वच्छता का ध्यान नहीं रख पाती हैं, जिस कारण महिला एवं बच्चा बीमार होकर कुपोषण का शिकार हो जाते है। इस समस्या के समाधान हेतु एवं गर्भ्वती महिलाओं के पोषण एवं स्वास्थ्य की स्थिति में अधिक सुधार की आवश्यकता के दृष्टिगत मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना संचालित की जा रही है।

योजना का स्वरूपः– मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना के अन्तर्गत राज्य में प्रसवोपरान्त महिला को प्रथम दो बालिकाओं के जन्म पर एक–एक किट एवं जुड़वा बच्चियों के जन्म पर महिला को एक व बच्चों को पृथक–पृथक दो महालक्ष्मी किट से लाभान्वित किया जायेगा। राज्य में इस योजना के संचालन से संस्थागत प्रसव एवं स्तनपान को बढ़ावा, मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर में कमी, प्रसवोपरान्त स्वच्छता के बारे में जागरूक करने व नवजात शिशु की देखभाल आदि लाभ प्रदत्त किये जायेगें। आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से प्राप्त गर्भवती महिलाओं को संख्या के आधार पर लाभ प्रदान किया जायेगा। प्रथम चरण में राज्य में 50,000 (पचास हजार) महिलाओं को महालक्ष्मी किट का लाभ प्रदान किया जायेगा। इस संबंध में निम्न प्रतिबन्धों एवं शर्तों के अधीन ''मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना'' के संचालन हेतु श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1– ''मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना'' की सामग्री– विभाग द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्र में पंजीकृत गर्भवती महिला के दो बालिकाओं एवं जुड़वा बच्चियों के जन्म पर सुरक्षित मातृत्व के दृष्टिगत **''मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना'' किट** प्रदान की जायेगी। **मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना''** प्रति किट (परियोजना कार्यालय तक परिवहन सहित) अधिकतम लागत रू0 3500/– निर्धारित है, किट में सामग्री निम्नवत् होगीः–

1) गर्भधारिता मातृ हेतु–

क्र0सं0	सामग्री	मात्रा
1	बादाम गिरी/सुखी खुमानी/अखरोट	251 ग्राम

2	छुआरा	501 ग्राम
3	ब्लैंकेट गर्म अथवा कॉटन (मौसम अनुसार)	01
4	शॉल गर्म फुल साईज	01(90×180से0मी0)
5	स्कॉर्फ कॉटन/गर्म स्टेन्डर्ड साईज	01(84×84से0मी0)
6	जुराब स्टैण्डर्ड साईज	03 जोड़े
7	तौलिया बड़े साइज का (01 बड़ा, 01 छोटा)	03 (75×135 से0मी0)
8	सैनिटरी नैपकिन	03 पैकेट (08 प्रति पैकेट)
9	बेड शीट कॉटन प्रिन्ट में (सिंगल बेड तकीये के कवर सहित)	02 जोड़े (144×208 से0मी0)(46×68से0मी0)
10	नेल कटर	01
11	सरसों का तेल	03 (500 ml)
12	साबुन (75ग्राम)	4
13	कपड़े धोने का साबुन	04 (120–140 ग्राम)

2) नवजात शिशु के लिये–

14	शिशु के कपड़े (सूती या गर्म–मौसम के अनुसार) टोपी और जुराब सहित	04 जोड़े
15	सूती लंगोट (कॉटन डाइपर) के कपड़े बेबी नेपी	01पैकेट 01पैकेट (12 पीस)
16	बेबी तौलिया कॉटन सॉफ्ट	01(80×80से0मी0)
17	बेबी साबुन(3) तेल (1) पाउडर (2)	75 ग्राम, 50 मि0ली0, 100ग्राम,
18	बेबी ब्लैंकेट गर्म अथवा कॉटन (मौसम अनुसार)	03(76×100से0मी0)
19	रबर शीट	01(52×76से0मी0)
20	समस्त सामग्री पैक करने हेतु बैग	02 (65×45से0मी0)
21	टीकाकरण कार्ड	1
22	स्तनपान/पोषाहार कार्ड	1
23	मा0 मंत्री जी की ओर से बधाई संदेश कार्ड	1
किट की अधिकतम लागत (परियोजना कार्यालय तक परिवहन सहित) **रू0 3500/–**		

**सूती बैग में उपरोक्त उल्लिखित समस्त सामग्रियों के साथ शुभकामना संदेश, टीकाकरण कार्ड, सम्पूर्ण स्तनपान, सम्पूर्ण टीकाकरण ऊपरी आहार, धात्री माता का पौष्टिक भोजन, साफ–सफाई आदि के विषय की जानकारी के साथ अन्य कल्याणकारी विभागीय योजनाओं की जानकारी के पैम्पलेट भी सम्मिलित रहेंगे।*

**किट में उपलब्ध उपरोक्त क्र0सं0 1 से 13 गर्भवती एवं 14 से 23 तक नवजात शिशु तक सामग्री की रसीद दो प्रतियों में छपवा कर उपलब्ध करवायी जायेगी। एक प्रति लाभार्थी के पास रहेगी व दूसरी प्रति लाभार्थी से प्राप्ति हस्ताक्षर करवा कर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता वितरण की फोटो सहित पोर्टल पर अपलोड करेगी तथा रसीद की प्रति अपने पास भी रखेगी।*

2– उद्देश्य–

1. संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना।
2. मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाना।
3. प्रसव के समय मां एवं शिशु को आवश्यक सामग्री प्रदान करना, जिससे मां ए नवजात शिशु की अतिरिक्त देखभाल की जा सके।
4. स्तनपान के विषय में जानकारी, विशेषकर नवजात शिशु को प्रथम 01 घण्टे के अन्द स्तनपान कराने से सम्बन्धित।
5. प्रसवोपरान्त स्वच्छता के बारे में जागरूक करना।
6. बच्चे के जन्म पर परिवार को सरकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान करना, यथा– जननी सुरक्षा योजना, नन्दा गौरा योजना, प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना आदि।

3–आवश्यक दिशा–निर्देश एवं शर्तें:–

1. एक दम्पत्ति की केवल दो बालिकाओं एवं जुड़वा बच्चियों के जन्म पर ही प्रसव वाली महिलाओं को **"मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना" के अन्तर्गत किट** प्रदान की जायेगी।
2. पात्र महिला उत्तराखण्ड राज्य की स्थायी निवासी होनी चाहिये, इसके लिये परिवार रजिस्टर की नकल संलग्न करना अनिवार्य है।
3. ऐसी गर्भवती महिला या उसका पति अथवा दोनों, जो स्वयं सरकारी/अर्द्धसरकारी /सरकारी उपक्रम में कार्यरत हैं, उन्हे योजना का लाभ नही दिया जायगा किन्तु ऐसी महिलाये अथवा उनके पति उपनल/पी0आर0डी0/आउटसोर्सिंग/संविदा में कार्यरत हो, परन्तु आयकर की सीमा में न आते हों, उक्त योजना में आच्छादित होंगें।
4. आयकरदाता उक्त योजना में आच्छादित नहीं होंगें।
5. बलात्कार से पीड़ित महिला/किशोरी को गर्भधारण करने पर इस योजना का लाभ दिया जायेगा। इस स्थिति में किसी भी प्रकार के अनिवार्य अभिलेख नही मांगे जायेगे, किन्तु आंगनबाड़ी केन्द्र में पंजीकरण होना अनिवार्य होगा
6. परित्यकता/विधवा/तलाकशुदा गर्भवती महिलाओं से भी किसी भी प्रकार के अनिवार्य अभिलेख नही मांगे जायेगे इनके पति के सम्बन्ध में कोई भी की सूचना नहीं मागी जाऐगी, किन्तु आंगनबाड़ी केन्द्र में पंजीकरण होना अनिवार्य होगा
7. लाभार्थी द्वारा बालिका के जन्म के उपरान्त आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के एक माह के अन्दर लाभार्थी को सौभाग्यवती किट उपलब्ध करवायी जायेगी। आवेदन पत्र विभाग द्वारा समस्त आंगनबाड़ी केन्द्रों पर निःशुल्क तथा ऑनलाईन भी उपलब्ध करवाये जायेंगे।

4– वांछित अभिलेख–

1. गर्भवती महिला का आंगनवाड़ी केन्द्र में पंजीकृत होना अनिवार्य है। पंजीकरण पोर्टल आंगनवाड़ी कार्यकर्ती द्वारा स्वयं किया जायेगा अथवा लाभार्थी भी अपना पंजीकरण करा सकता है।
2. सरकारी अथवा प्राइवेट अस्पताल का मां–शिशु रक्षा कार्ड की प्रति उपलब्ध करानी होगी।

3. सरकारी/प्राइवेट अस्पताल में संस्थागत प्रसव की प्रति संलग्न करानी होगी।
4. यदि किसी कारणवश या आकस्मिकतावश रास्ते में या घर पर प्रसव हो जाता है तो ऐसे लाभर्थियो को भी अन्य अर्हताये पूर्ण करने पर योजना का लाभ दिया जायेगा। इसके लिये आंगनवाड़ी कार्यकर्ती या मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती/आशा वर्कर/चिकित्सक का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
5. आंगनवाड़ी कार्यकर्ती लाभार्थी से निम्न प्रमाण–पत्र प्राप्त करेगी:

   क– परिवार रजिस्टर की नकल(जिन लाभार्थियो पर लागू है।)

   ख– प्रथम बार प्रसव का प्रमाण पत्र

   ग– स्वयं के अथवा पति के सरकारी/अर्द्धसरकारी/सरकारी उपक्रम में कार्यरत नही होने का प्रमाण पत्र। किन्तु ऐसी महिलाये अथवा उनके पति उपनल/पी0आर0डी0/आउटसोर्सिंग/संविदा में कार्यरत हो, परन्तु आयकर की सीमा में न आते हों, तो उन्हे इस आशय का प्रमाण पत्र देना होगा कि वह अथवा उनके पति उपनल/पी0आर0डी0/आउटसोर्सिंग/संविदा में कार्यरत है किन्तु आयकर दाता नही हैं।

   घ– किसी कारण अथवा आकस्मिकता वश यदि प्रसव चरास्ते में या घर पर हो जाता है तो ऐसे लाभर्थियो को इस आशय का प्रमाण पत्र निम्न प्रारुप पर देना होगा

   "प्रमाणित किया जाता है कि गर्भवती महिला का नाम........................स्थान............ दिनांक..................को आकस्मिकता के कारण ही लाभार्थी का प्रसव घर या रास्ते में हुआ है।" (यदि लागू है, तो)

हस्ताक्षर– लाभार्थी एवं प्रति हस्ताक्षर कार्यकर्ती

5." मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना" किट सामग्री क्रय की प्रक्रिया–

1. "**मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना**" किट की सामग्री का क्रय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 यथा संशोधित में निहित प्राविधानानुसार केन्द्रीयकृत रूप से निदेशालय स्तर पर किया जायेगा। ताकि किट की एकरूपता, गुणवत्ता एवं पारदर्शिता के साथ–साथ वित्तीय नियमों का अनुपालन भी सुनिश्चित हो सके।
2. परियोजना कार्यालय तक परिवहन शामिल होगा।
3. निदेशालय द्वारा शासनादेश के अनुसार "**मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना**" किट में निर्धारित सामग्री की गुणवत्ता व माप का मूल्यांकन कर सैम्पल किट तैयार किये जायेगे।
4. चूंकि यह नवजात शिशु एवं गर्भवती माता से सीधे तौर पर जुड़ा है, अतः परियोजना क्षेत्रों के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा सामग्री की गुणवत्ता का विशेषतौर से ध्यान रखा जायेगा। साथ ही बच्चे के लिये प्रयोग में लायी जाने वाली सामग्री में सुगन्ध, एलर्जी एवं पर्यावरण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुये सामग्री निर्धारित की जायेगी।
5. निदेशालय द्वारा किट में उपलब्ध सामग्री की गुणवत्ता की जांच समय–समय पर की जायेगी। निर्धारित समय पर प्राप्ति के लिये निरीक्षण टीम तैयार कर अपनी जांच रिर्पोट समय–समय पर देनी होगी।

6. जनपद स्तर पर जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा योजना के प्रचार–प्रसार, किट की गुणवत्ता एवं योजना का नियमित अनुश्रवण किया जायेगा, जिससे कि कोई भी बालिका लाभार्थी योजना के लाभ से वंचित न हो, इस सम्बन्ध में मासिक रूप से निदेशालय को सूचना प्रेषित की जायेगी।
7. किट की सामग्री यथा आवश्यकतानुसार अपरिहार्य परिस्थितियों में विभागीय मंत्री जी के अनुमोदनोपरान्त परिवर्तित की जा सकती है।

6–"मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना" किट सामग्री वितरण की प्रक्रिया– दम्पत्ति की दो बालिकाओ एवं जुड़वा बच्चियों के जन्म पर माता को आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के एक माह के अन्दर लाभार्थी को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना किट उपलब्ध करवायी जायेगी। इस कार्य के क्रियान्वयन, निगरानी, अनुश्रवण हेतु वेबपोर्टल भी बनाया जा रहा है। वेबपोर्टल के माध्यम से मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना किट के मांग, प्रेषण, वितरण एवं निगरानी आदि की प्रक्रिया निर्धारित की जायेगी।

7– मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना" किट वितरण का सत्यापन एवं उपभोग प्रमाण पत्र–प्रत्येक लाभार्थी महिला को किट देते समय आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री द्वारा फोटो लेकर उसे पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा। साथ ही प्राप्ति रसीद भी पोर्टल पर अपलोड की जायेगी। पोर्टल पर उक्त सूचनाओं की प्राप्ति को उपभोग प्रमाण पत्र के रूप में माना जायेगा।

प्रसव के दिन यह किट अस्पताल जाकर लाभार्थी महिला को भी प्रदान किया जा सकता है, ताकि शुभकामनाओं के साथ चिकित्सा विभाग के समन्वयन महिला व परिवार को स्तनपान, पोषण व बच्चें स्वास्थ्य सम्बन्धी परामर्श भी दिया जा सके।

"मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना" किट वितरण में जन प्रतिनिधियों व प्रबुद्धजनों को भी शामिल किया जा सकता है। इसलिये आवश्यक है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ती एवं सुपरवाइजर गर्भवती महिलाओं को पूर्व से चिन्हित करें। लाभार्थी एवं उसके परिवार को उक्त किट हेतु आवश्यक परामर्श प्रदान किया जाय।

8–अभिलेखीकरण– विकासखण्ड स्तर, सुपरवाइजर स्तर एवं आंगनवाड़ी स्तर पर **"मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना"** किट वितरण का उचित अभिलेखीकरण (स्टॉक पंजिका, कैश बुक पंजिका, लाभार्थियों वितरण पंजिका, प्राप्ति पंजिका इत्यादि) किया जाना आवश्यक है। किट की मांग हेतु आवश्यक अभिलेख एवं प्राप्ति रसीद की अलग से पत्रावली रखी जायेगी।

9–अनुश्रवण एवं मूल्यांकन– उक्त योजना का अनुश्रवण, निरीक्षण एवं मूल्यांकन जनपद एवं बाल विकास परियोजना स्तर पर निरन्तर किया जायेगा। जिला स्तर एवं विकासखण्ड स्तर पर आयोजित बैठको में उच्च अधिकारियों यथा–मुख्य विकास अधिकारी/जिलाधिकारी को इस योजना की प्रगति के बारे में अवगत करवाया जायेगा। ग्राम सभा की बैठकों में सुपरवाइजर व आंगनवाड़ी कार्यकर्ती द्वारा लाभार्थियों के नाम पढ़कर सुनाये जायेगें।

डीपीओ/सीडीपीओ/सुपरवाइजर द्वारा प्रत्येक माह अपने क्षेत्र में आई0सी0डी0एस0 कैस व मासिक प्रगति आख्या के आधार पर यह मूल्यांकन किया जायेगा कि कुल गर्भवती महिलाओं के सापेक्ष कितने लाभार्थियो का पंजीकरण पोर्टल पर किया गया है तथा कितने लाभार्थियो को किट उपलब्ध कराई गई है। पोर्टल पर पंजीकरण करते समय किन लाभार्थियों

को अपात्र पाया गया है इसकी भी समीक्षा की जायेगी। निदेशालय स्तर पर भी यह पोर्टल के माध्यम से पाक्षिक समीक्षा होगी।

10— उक्त योजनान्तर्गत होने वाला व्यय भार अनुदान संख्या—15 के लेखाशीर्षक 2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण 02—समाज कल्याण 103—महिला कल्याण 32—मुख्यमंत्री सौभाग्यवती योजना में मानक मद—42—अन्य विभागीय व्यय के नामे डाला जायेगा।

11— कृपया तद्नुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करते हुए उपर्युक्त उल्लिखित दिशा—निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

12— यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या—535(म0)XXVII(3)2021 दिनांक 20.04.2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(हरि चन्द्र सेमवाल)
सचिव।

संख्या— (1)/XVII/2021-5(34)/2020 तद्दिनांकित

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्ययक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. प्रमुख सचिव/सचिव, मा0 मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ।
2. निजी सचिव, मा0 विभागीय मंत्री को मा0 विभागीय मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
3. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
5. प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त/नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. निजी सचिव, सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. निजी सचिव, अपर सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. संयुक्त सचिव/उप सचिव/अनु सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9. मण्डलायुक्त गढ़वाल एवं कुमायूं मण्डल, पौड़ी गढ़वाल एवं नैनीताल।
10. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
11. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
12. समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी, उत्तराखण्ड।
13. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
14. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(लक्ष्मण सिंह)
संयुक्त सचिव।